रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 26 दिसम्बर 1987/5 पौष, 1909

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अगस्त, 1987

संख्या डी० एल० आर०-10/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश एग्रीकलचरल

प्रोड्यस मार्किटस ऐक्ट, 1969 (1970 का 9)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1969

(1970 का अधिनियम संख्यांक 9)

(23 मार्च, 1970)

(1 जुलाई, 1987 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में, कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भंडारकरण और प्रसंस्करण के बेहतर विनियमन से सम्बद्ध विधि को समेकित और संशोधित करने और कृषि उपज की मंडियों की स्थापना के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1969 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो,—

(क) "कृषि उपज" से इस अधिनियम की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कृषि, बागवानी, पशुपालन या वन की समस्त उपज, चाहे प्रसंस्कृत हो या न हो अभिप्रेत है,

(ख) "बोर्ड" धारा 3 के अधीन गठित, हिमाचल प्रदेश मण्डी बोर्ड अभिप्रेत है,

(ग) "दलाल" से ऐसा अभिकर्ता अभिप्रेत है जो स्वामी की ओर से कमीशन, फीस या पारिश्रमिक के प्रतिफल में केवल बातचीत करता है और अधिसूचित कृषि उपज के क्रय या विक्रय के लिए संविदा करता है, किन्तु अधिसूचित कृषि उपज, प्राप्त, प्रदान, वहन, क्रय के लिए संदाय या विक्रय के संदाय को इकट्ठा, नहीं करता है,

(घ) "समिति" धारा 9 और 10 के अधीन स्थापित और गठित मण्डी समिति अभिप्रेत है,

(ङ) "निदेशक" से कृषि निदेशक, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों के पालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी है,

(च) "भण्डार रक्षक" से उत्पादक से भिन्न व्यक्ति, अभिप्रेत है जो कृषि उपज का अपने लिए विक्रय हेतु भंडारकरण करता है, या दूसरों की कृषि उपज का भंडारकरण प्रभारों के बदले में करता है,

(छ) "अनुज्ञप्ति धारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 8 और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता है और इसके अन्तर्गत है कोई व्यक्ति जो कृषि उपज खरीदता और बेचता है और जिसे कच्चा आढ़ती या कमीशन अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता है, किन्तु इसके अन्तर्गत धारा 11 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति नहीं है,

(ज) "मण्डी" से अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन स्थापित और विनियमित मण्डी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत समुचित मण्डी प्रमुख मण्डी प्रांगण और उप मण्डी प्रांगण है,

(झ) "उत्पादक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने उपव्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में, यथास्थिति, स्वयं, अभिधारियों के माध्यम से या अन्यथा कृषि उपज उगाता है, उत्पादन करता है, पालता या पैदा करता है, परन्तु इस के अन्तर्गत वह व्यक्ति नहीं है जो व्योहारी या दलाल के रूप में कार्य करता है या जो व्यवहारियों या दलालों की फर्म का भागीदार है या अन्यथा, उसके द्वारा या अभिधारियों क माध्यम से उगाई गई, उत्पादित पाली गई या पैदा की गई कृषि उपज से भिन्न, कृषि उपज के निपटाए जाने या भंडारकरण के कारबार में लगा हुआ है । यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति उत्पादक है या नहीं, तो उस जिले के उपायुक्त का विनिश्चय जिससें वह कारबार या व्यवसाय करता है, अन्तिम होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति उत्पादक होने से केवल इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जायेगा कि वह सहकारी सोसाइटी का सदस्य है,

स्पष्टीकरण:--उत्पादक पद के अन्तर्गत अधिभारी भी होगा ।

(ञ) "व्यवहारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भंडारकरण या प्रसंस्करण के लिए कोई स्थान बनाता है, स्थापित करता है या उसे बनाए रखता है या बनाए रखने को अनुज्ञा करता है या ऐसी कृषि उपज का क्रय, विक्रय, भंडारकरण या प्रसंस्करण करता है,

(ट) "समुचित मण्डी" से प्रमुख मण्डी, या उप-मण्डी प्रांगण से ऐसी दूरी के भीतर, उस पर इमारतों के साथ भूमि सहित, कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा समुचित मण्डी के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाए,

(ठ) "सदस्य" के अन्तर्गत बोर्ड का अध्यक्ष है,

(ड) "सहकारी सोसाइटी" से तत्समय प्रदत्त सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों की सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो कृषि उपज के क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण या भंडारकरण का व्यापार करती है, या अन्यथा कृषि उपज के निपटाए जाने के कारबार में लगा हुआ है,

(ढ) "राज्य सरकार" या "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार, अभिप्रेत है,

(ण) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है,

(त) "अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" से धारा 4 के अधीन अधिसूचित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है,

(थ) "विहित" से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(द) "प्रमुख मण्डी प्रांगण" और "उप-मण्डी प्रांगण" से, धारा 5 के अधीन प्रमुख मण्डी प्रांगण और उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित कोई अहाता, भवन, परिक्षेत्र या अन्य क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ध) "व्यापार भत्ता" के अन्तर्गत, सम्बद्ध अधिसूचित क्षेत्र में रूढ़ि द्वारा मंजूर भत्ता और विभिन्न कृत्यकारियों को संदेय मण्डी प्रभार है,

(न) "परचून विक्री" से ऐसे परिमाण से अनधिक कृषि उपज विक्री अभिप्रेत है जो विहित की जाए, और

(प) "सचिव" से समिति का कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सहायक सचिव, या सचिव के रूप में स्थानापन्न या कार्यरत व्यक्ति है।

हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड।

3. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और बोर्ड को सौंपे गए कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और पंद्रह सदस्यों से गठित हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना और गठन कर सकेगी जिनमें से 5 शासकीय और 10 गैर-शासकीय होंगे जिनका नामनिदशन राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति में किया जायेगा :—

(क) शासकीय सदस्यों में निदेशक, उप-निदेशक (कृषि विपणन) हिमाचल प्रदेश और सरकार द्वारा यथा नामानिर्दिष्ट अन्य तीन पदधारी होंगे,

(ख) गैर-शासकीय सदस्यों में से,—

(i) दो, समितियों के उत्पादक-सदस्य होंगे,
(ii) चार, हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रगतिशील उत्पादक सदस्य होंगे,
(iii) तीन, धारा 8 के अधीन ऐसे अनुज्ञप्त व्यक्तियों में से होंगे जो समितियों के सदस्य हैं,
(iv) एक, सहकारी सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य होगा।

(2) बोर्ड का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के कृषि विभाग के संयुक्त और उप-निदेशकों में से नियुक्त किया जायेगा।

(3) बोर्ड हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के नाम से निगमित निकाय और स्थानीय प्राधिकरण भी होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति को अर्जित और धारण करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(4) बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(5) कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा, जो—

(क) साधारण रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास नहीं करता है,
(ख) पचीस वर्ष की आयु से कम का है,
(ग) धारा 13 की उप-धारा (7) के अधीन हटाया गया है,
(घ) विकृत चित्त है, या
(ङ) दिवालिया घोषित किया गया है या किसी दण्ड न्यायालय द्वारा, चाहे हिमाचल प्रदेश में या उसके बाहर, नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए दण्डित किया गया है:

परन्तु दण्ड न्यायालय द्वारा दण्डादेश दिए जाने के आधार पर खण्ड (ङ) के अधीन निर्हतर, ऐसे व्यक्ति के दण्डादेश के अवसान की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् लागू नहीं होगी।

(6) बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र देकर पद त्याग सकेगा और अध्यक्ष से भिन्न सदस्य राज्य सरकार के अध्यक्ष के माध्यम से अपना त्यागपत्र देकर सदस्यता से त्याग कर सकेगा और यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष और सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से रिक्त हो जायेगा।

(7) राज्य सरकार बोर्ड के किसी गैर-शासकीय सदस्य को हटा सकेगी जो उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं के अधीन हो गया है या जो, उसकी राय में, सदस्य के रूप में कार्य करने में अयोग्य है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असावधान है या जिसका बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहना उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और वह उसके स्थान पर उस वर्ग से जिससे हटाया हुआ सदस्य संबन्धित हो, अन्य सदस्य को उप-धारा (1) में विहित रीति से नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु किसी सदस्य को हटाने से पूर्व, उसे प्रस्तावित कार्रवाई के कारण सूचित किए जायेंगे और उसका उत्तर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मांगा जायेगा और उस पर सम्यक रूप से विचार किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार नियुक्त सदस्य की पदावधि का अवसान उसी तारीख को होगा जिस को पद रिक्त करने वाले सदस्य की अवधि का अवसान हुआ होता यदि वह पश्चातवर्ति उप-धारा (4) के अधीन अनुज्ञात पूरी अवधि के लिए पद धारण करता।

(7-अ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड, राज्य सरकार की स्वीकृति से निम्नलिखित के लिए उप-विधियां बना सकेगा --

(क) इसके अधिवेशन में काम-काज के संव्यवहार को विनियमित करने के लिए,

(ख) बोर्ड के कर्त्तव्यों और शक्तियों के इसके अध्यक्ष, सचिव या इस द्वारा नियोजित व्यक्तियों को समनुदशित करने के लिए, और

(ग) ऐसे अन्य विषयों के लिए जो उप-विधियों के अधीन विहित किए जाने हैं या किए जाएं।

(8) बोर्ड के अधिवेशन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई से मिलकर बनेगी बोर्ड के अधिवेशन के समक्ष आने वाले सभी प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा :

परन्तु यदि अधिवेशन गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दिया जाता है तो उसी काम-काज को संव्यवहृत करने के लिए बुलाए गए अगले अधिवेशन गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(9) (क) आगामी वर्ष के लिए बोर्ड की वार्षिक आय और व्यय का प्राक्कलन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा और प्रति वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह तक, न कि उसके पश्चात् सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार द्वारा बजट की मंजूरी पर, बोड को इसे प्रवर्तित करन की शक्ति होगी।

(ख) राज्य सरकार बजट को मंजूर करेगी और इसकी प्राप्ति की तारीख से उसे दो मास के भीतर वापस करेगी। यदि यह दो मास के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो यह उप-धारणा की जाएगी कि यह मंजूर कर दिया गया है।

(10) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के पालन के लिए ऐसे व्यक्तियों का नियोजन कर सकेगा, और उन्हें ऐसा पारिश्रमिक दे सकेगा जैसा यह उचित समझें और इस प्रकार नियोजित किसी भी व्यक्ति को निलम्बित, हटा, पदच्युत या अन्यथा दण्डित कर सकेगा।

(11) राज्य सरकार, बोर्ड और उसके अधिकारियों पर अधीक्षण और नियन्त्रण रखेगी और ऐसी जानकारी मांग सकेगी जो वह आवश्यक समझें और, इसको विश्वास हो जाने की दशा में कि बोर्ड उचित रूप में कृत्य नहीं कर रहा है, या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर रहा है या भ्रष्टाचार या कुप्रबन्ध का दोषी है तो यह बोर्ड को निलम्बित कर सकेगी और नए बोर्ड के गठन के समय तक, बोर्ड और इसके अध्यक्ष के कृत्यों के प्रयोग के लिए ऐसे प्रबन्ध कर सकेगी जो यह उचित समझें :

परन्तु बोर्ड, इसके निलम्बन की तारीख से छः मास के भीतर गठित किया जाएगा।

(12) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन स्थापित और गठित सभी मण्डी समितियों पर अधीक्षण और नियंत्रण रखेगा।

(13) बोर्ड का अध्यक्ष, प्रशासनिक आधारों पर एक मण्डी समिति के कर्मचारियों को दूसरी में, और मण्डी समिति से बोर्ड में और बोर्ड से मण्डी में स्थानान्तरित कर सकेगा।

(14) बोर्ड, अपनी किन्हीं शक्तियों को, अध्यक्ष, सचिव या बोर्ड के अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(15) बोर्ड, या बोर्ड के अध्यक्ष या उसके सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, मण्डी समिति या व्यवहारी या अन्य कृत्याकारियों से कृषि उपज से सम्बद्ध कोई जानकारी, अभिलेख या विवरणियां मंगवाने की शक्ति होगी और समिति या व्यवहारी या अन्य कृत्याकारियों के लेखाओं के निरीक्षण की भी शक्ति होगी और यदि उसके या इसके नोटिस में कोई अनियमितता आती है, तो उसे किसी अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने की शक्ति होगी।

(16) राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को, बोर्ड या उसके अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(17) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(18) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, अधिसूचना द्वारा, ऐसी कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भंडारकरण और प्रसंस्करण पर और ऐसे क्षेत्र में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, नियंत्रण रखने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। ऐसी अधिसूचना में यह कथन किया जाएगा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया जाएगा :

परन्तु ऐसी अवधि एक मास से कम नहीं होगी।

अध्यक्ष और उसकी पदावधि।

3-अ(1) राज्य सरकार, बोर्ड के किसी सदस्य को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी जो ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे समनुदेशित या प्रदत्त की जाएं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष की पदावधि, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि के साथ समाप्त होगी और उसे ऐसा पारिश्रमिक और भत्ते संदत्त किए जाएंगे । जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए जाएं ।

(3) उप-धारा (2) में वर्णित पदावधि के अवसान के होते हुए भी, अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहेगा जब तक पदावधि के अवसान द्वारा हुई रिक्ति भर नहीं दी जाती :

परन्तु कोई भी रिक्ति छः मास से अधिक के लिए रिक्त नहीं रहने दी जाएगी ।

(4) जब अध्यक्ष के पद में अस्थायी रिक्ति हो, सरकार बोर्ड के किसी अन्य सदस्य को ऐसी रिक्ति की अवधि में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और उसे ऐसा पारिश्रमिक और भत्ते संदत्त कर सकेगी जो इस द्वारा नियत किए जाएं ।

बोर्ड का अधिक्रमण ।

3-क (1) यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या लगातार व्यतिक्रम करता है या इसे प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करता है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा बोर्ड का अधिक्रमण कर सकेगी :

परन्तु ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व, राज्य सरकार बोर्ड को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरूद्ध अभ्यावदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी और बोर्ड के अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड का अधिक्रमण किया जाए,--

(क) अध्यक्ष सहित बोर्ड के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अधिक्रमण की तारीख से यथास्थिति, ऐसे सदस्यों या अध्यक्ष के रूप में अपने पद को रिक्त करेंगे;

(ख) अधिक्रमण की अवधि के दौरान, बोर्ड की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन और प्रयोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करें और उनका पारिश्रमिक ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाए ;

(ग) बोर्ड में निहित सभी निधि और अन्य सम्पत्ति, अधिक्रमण की अवधि के दौरान, राज्य सरकार में निहित होगी ; और

(घ) ज्यों ही अधिक्रमण की अवधि का अवसान हो जाता है, बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः गठित किया जाएगा ।

अधिसूचित मंडी क्षेत्र की घोषणा ।

4. (1) धारा 3 (19) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात और उन आक्षपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात जो विनिर्दिष्ट अवधि क अवसान से पूर्व प्राप्त किए जाएं, बार्ड, अधिसूचना द्वारा और एसी किसी अन्य रीति में जो विहित की जाए, धारा 3 क अधीन अधिसूचित क्षत्र को या उसक किसी भाग को, इस अधिनियम क प्रयोजनों के लिए धारा 3 क अधीन अधिसूचित कृषि उपज या उसक किसी भाग क सम्बन्ध में, अधिसूचित मण्डी क्षत्र घोषित कर सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में समिति कार्य नहीं कर रही है या ऐसे दो क्षेत्रों को या ऐसे किन्हीं क्षेत्रों के किसी भाग को अन्य

ऐसे क्षेत्र में समामेलित करना है या पृथक अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में गठित करना है, तो वह उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी मण्डी क्षेत्र को या उसके किसी भाग को अधिसूचना द्वारा अनधिसूचित कर सकेगा और जब ऐसा सारा क्षेत्र अनधिसूचित कर दिया जाता है, तो समिति को रद्द कर सकेगा और उसके दायित्वों को पूरा करने के पश्चात उस समिति की बाकी सभी आस्तियों को बोर्ड को अन्तरित कर सकेगा बोर्ड द्वारा ऐसी आस्तियां क्षेत्र में ऐसे उद्देश्यों परन्तु बोर्ड के दायित्वों का विस्तार इस प्रकार निहित आस्तियों से अधिक नही होगा।

(3) ऐसी अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख के पश्चात या ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, कोई भी व्यक्ति, जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा छूट नहीं दी जाती, इस अधिनियम, तद्धीन बनाए गए नियमों और उसविधियों के उपबन्धों के अनुसार मंजूर अनुज्ञप्ति और अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों के सिवाए, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति या सरकार की ओर से, कोई भी स्थान, इस प्रकार अधिसूचित कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भंडारकरण और प्रसंस्करण के लिए नहीं बनाएगा, स्थापित या जारी नहीं रखेगा या बनाने, स्थापित या जारी रखने की अनुज्ञा नहीं देगा या ऐसी कृषि उपज का क्रय, विक्रय, भण्डारकरण या प्रसंस्करण नहीं करेगा :

परन्तु उत्पादक द्वारा जो स्वय या यथार्थ अभिकर्ता के माध्यम से, जो कमीशन अभिकर्ता नहीं है, अपनी कृषि उपज या अपने अभिधारियों की कृषि उपज को उनकी ओर से बेचता है या उस व्यक्ति द्वारा जो कि अपने प्राईवेट प्रयोग के लिए किसी कृषि उपज को बेचता है या उस व्यक्ति द्वारा जो कि अपने प्राईवेट प्रयोग के लिए किसी कृषि उपज को खरीदता है, अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(4) शंकाओं के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा या धारा 3 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का, यथास्थिति, इस धारा के अधीन या धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन में, किसी लोप या अनियमितता या प्रकाशन में त्रुटि होते हुए भी पूर्ण बल और प्रभाव होगा।

मंडी प्रांगणों की घोषणा।

5. (1) प्रत्येक अधिसूचित मंडी क्षेत्र के लिए एक मुख्य मण्डी प्रांगण और आवश्यकतानुसार एक या अधिक उप-मण्डी प्रांगण होंगे।

(2) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में किसी अहाते, इमारत, परिक्षेत्र या अन्य क्षेत्र को, उस क्षेत्र के लिए मुख्य मण्डी प्रांगण और अन्य अहातों, इमारत परिक्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों को अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिए उप-मण्डी प्रांगण घोषित कर सकेगा।

मंडी के रूप में घोषित स्थानों में या उनके समीप किसी प्राइवेट मंडी का न खोला जाना।

6. उस तारीख को और उसके पश्चात जिसकी बोर्ड ने धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी स्थान को मुख्य या उप-मंडी प्रांगण के रूप में घोषित किया हो, कोई भी व्यक्ति या नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, पंचायत या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण से सम्बद्ध किसी अधिनियमिति में, किसी बात के होते हुए भी ऐसी मण्डी की सीमाओं में या इस निमित्त सरकार द्वारा प्रत्यक मामले में राजपत्र में अधिसूचित दूरी के भीतर, कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भंडारकरण और प्रसंस्करण के लिए, किसी स्थान को बनाने, स्थापित करने या जारी रखने या जारी रखने की अनुज्ञा देने के लिए सक्षम नहीं होगा :

परन्तु उत्पादक द्वारा, कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भण्डारकरण या प्रसंस्करण के लिए किसी स्थान का मण्डी क रूप में बनाना, स्थापित करना या जारी रखना या जारी रखने की

अनुज्ञा देना नहीं समझा जाएगा यदि वह समिति द्वारा कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भंडारकरण और प्रसंस्करण के लिए परिसर से बाहर रखे गए अलग स्थान पर अपनी कृषि उपज बेचता है।

प्राधिकारी जिसे अनुज्ञपति की मंजूरी के लिए आवेदन किए जाएगे।

7. बोर्ड का सचिव या अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, धारा 4 (3) के अधीन अपेक्षित अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के लिए प्राधिकारी होगा।

अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन, देय फीसें और अनुज्ञप्तियों का रद्दकरण और निलम्बन।

8. (1) कोई भी व्यक्ति, धारा 7 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो ऐसी अवधि के लिए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी शर्तों पर और सौ रुपये से अनधिक ऐसी फीस के संदाय पर मंजूर किया जाएगा, जो विहित की जाए :

परन्तु अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में, धारा 4 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई कारबार कर रहा कोई व्यक्ति, यदि ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में नियत करें, अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के अवसान तक उसे अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार करें।

(2) बोर्ड या उसका अध्यक्ष या सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाने पर, कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया गया है, लिखित आदेश द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित कर सकेगा और यह निदेश भी दे सकेगा कि ऐसी अनुज्ञप्ति का प्रथम उल्लंघन के लिए पांच मास से अनधिक और द्वितीय उल्लंघन के लिए नौ मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु यह कि ऐसा आदेश, अनुज्ञप्तिधारी को यह कारण बताने का अवसर दिए बिना कि ऐसा आदेश क्यों पारित न किया जाए, पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि समिति का अध्यक्ष या इसका सचिव, बोर्ड के सचिव को सूचित करते हुए, अनुज्ञप्ति को 15 दिन से अनधिक अवधि क लिए निलम्बित कर सकेगा।

(3) बोर्ड का सचिव, ऐसी जांच क पश्चात जो वह आवश्यक समझें, किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर सकेगा जो उसकी राय में :—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति क लिए बेनामीदार या उसके साथ भागीदार है जिसको अनुज्ञप्ति देने स इन्कार किया गया है या जिनकी अनुज्ञप्ति ऐसे रद्दकरण या निलम्बन की अवधि के लिए उप-धारा (2) के अधीन रद्द या निलम्बित की गई है,

(ख) कारबार के व्यक्ति के रूप म उसकी सत्यानिष्ठा को प्रभावित करने वाले अपराध के लिए दोषसिद्ध है, जो ऐसे दोषसिद्ध किए जाने के दो वष क भीतर है,

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया है :

परन्तु ऐसा आदेश, ऐसे व्यक्ति को यह कारण बताने का अवसर दिए बिना कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाए, नहीं दिया जाएगा।

मडी समिति की स्थापना।

9. बोर्ड, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिए मण्डी समिति की स्थापना करेगा और इसके मुख्यालय को विनिर्दिष्ट करेगा।

समिति का गठन ।

10. (1) मण्डी समिति नौ या सोलह सदस्यों से मिलकर बनेगी, जैसा कि बोर्ड प्रत्येक दशा में अवधारित करे ।

(2) इन सदस्यों में से एक, सरकार के वेतन भोगी कर्मचारियों में से उसके पद के आधार पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा ।

(3) शेष सदस्य, भरी जाने वाली रिक्तियों की दुगनी संख्या के समान नामों की सूची में से बोर्ड द्वारा, नीचे उपबन्धित रीति में नियुक्त किए जायेंगे, अर्थात्—

(क) यदि समिति नौ सदस्यों से गठित की जानी हो, तो—

(i) पांच सदस्य अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों में से, और

(ii) तीन सदस्य अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से धारा 8 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्तियों में से,

नियुक्त किए जायेंगे ।

(ख) यदि समिति सोलह सदस्यों से गठित की जानी हो तो—

(i) नौ सदस्य अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों में से, और

(ii) छः सदस्य अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में से धारा 8 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्तियों सें से,

नियुक्त किए जायेंगे ।

(4) नामों की सूची सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा दी जायेगी ।

(5) जब कोई सदस्य मर जाता है, पद त्याग कर देता है, हिमाचल प्रदेश में निवास करना छोड़ देता है या समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो बोर्ड अपने विवेकाधिकार के अनुसार दूसरी नाम सूची प्रस्तुत किए जाने पर या ऐसी नाम सूची के अभाव में, उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(6) समिति द्वारा किया गया कोई कृत्य केवल रिक्त की विद्यमान्यता या समिति के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, धारा 3 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट निरर्हताएं, समिति का सदस्य होने के प्रयोजन के लिए भी लागू होंगी ।

समितियों के कर्तव्य और शक्तियां ।

11. (1) मंडी समिति और मण्डी समिति के सचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:—

(क) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों को प्रवृत्त करना और जब बोर्ड द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए मण्डी की स्थापना करना जिसमें सम्बद्ध कृषि उपज के खरीदने, बेचने, भंडारकरण, तोल और प्रसंस्करण के सम्बन्ध में आने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करना जो बोर्ड या बोर्ड का अध्यक्ष समय-समय पर निर्दिष्ट करें,

(ख) मण्डी में प्रवेश को नियंत्रित और विनियमित करना, मण्डी के उपयोग के लिए शर्तें अवधारित करना और विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना व्यापार कर रहे व्यक्ति को अभियोजित करना या उसकी कृषि उपज को अधिकृत करना,

(ग) समिति की ओर से या अन्यथा जब बोर्ड या बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, कोई वाद, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम् लाना, अभियोजन करना या प्रतिवाद करना या, अभियोजन करने या उसका प्रतिवाद करने मे सहायता प्रदान करना, और

(घ) विनिर्दिष्ट कृषि उपज का श्रेणीकरण और मानकीकरण करना।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, मण्डी समिति के सचिव को, दलालों, तोलने वालों, मापकों, सर्वेक्षकों, गोदाम रक्षकों और अन्य कृत्यकारियों को अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के संबंध में अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करना और ऐसी अनुज्ञप्तियों को नवीकृत, निलम्बित या रद्द करना, मण्डी समिति के सचिव का कर्तव्य होगा।

(3) कोई भी दलाल, तोलने वाला, मापक, पर्यवेक्षक, गोदाम रक्षक या अन्य कृत्यकारी, जब तक वह अनुज्ञप्ति द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो, कृषि उपज के सम्बन्ध में अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में अपना व्यवसाय नहीं करेगा।

(4) धारा 8 और 11 के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक व्यक्ति और धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति लेने से छूट प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, समिति या उसके सचिव या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मांग करने पर ऐसे अभिलेख, सूचना और विवरणियां प्रस्तुत करेगा, जो अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के उचित प्रवर्तन के लिए आवश्यक हों।

सदस्यों की पदावधि।

12. धारा 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और यदि, ऐसी अवधि के अवसान पर किसी व्यक्ति को उसके उत्तरवर्ती के रूप में नियुक्त नहीं किया गया हो, तो ऐसा सदस्य तब तक बोर्ड अन्यथा निदेशित न करे, पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं कर दी जाती।

सदस्यों का हटाया जाना।

13. बोर्ड, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय किसी भी सदस्य को अधिसूचना द्वारा हटा सकेगा, यदि ऐसा सदस्य उसकी राय में, अनाचार या कर्तव्य की अवहेलना का दोषी है या उसने ऐसी अर्हता खो दी है जिसके आधार पर उसे नियुक्त किया गया था :

परन्तु बोर्ड, इस धारा के अधीन किसी सदस्य के हटाए जाने को अधिसूचित करने से पूर्व संबद्ध सदस्य को उसके प्रस्तावित हटाए जाने के कारण संसूचित करेगा और उसे लिखित रूप में स्पष्टीकरण पेश करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

14. (1) प्रत्येक मण्डी समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी।

(2) समिति, इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए अधिवेशन में कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से किसी पदधारी को हटाने के लिए संकल्प पारित कर सकेगी और इस प्रकार पारित कोई संकल्प, बोर्ड द्वारा पुष्ट किए जाने के अधीन होगा।

रिक्तियों का भरा जाना।

15. (1) यदि मृत्यु, त्याग-पत्र, सेवा निवृत्ति, स्थानांतरण या धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार हटाए जाने से कोई रिक्ति हो जाती है तो बोर्ड ऐसी रिक्ति को भरने के लिए धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति कर सकेगा :

परन्तु इस प्रकार नियुक्त सदस्य की पदावधि का अवसान उसी तारीख को होगा जिसको पद रिक्त करने वाले सदस्य की पदावधि का अवसान होता यदि वह पश्चावर्ती धारा 12 के अधीन अनुज्ञात पूरी अवधि के लिए पद धारण करता।

(2) यदि बोर्ड विद्यमान समिति के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 करने का विनिश्चय करता है, तो अतिरिक्त रिक्तियां उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेंगी और नियुक्त किए गए अतिरिक्त सदस्यों की पदावधि का अवसान समिति के विद्यमान सदस्यों के साथ होगा।

समिति का निगमन।

16. प्रत्येक मण्डी समिति ऐसे नाम से जो बोर्ड इसकी स्थापना की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, एक निगमित निकाय और स्थानीय प्राधिकरण होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा और धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारण करने पट्टे पर देने, बचने या जंगम या स्थावर सम्पत्ति को जो इसमें निहित हो गई है या इस द्वारा अर्जित की गई है अन्यथा अन्तरित करने, और संविदा करने और उन प्रयोजनों के लिए सभी अन्य कार्य करने के लिए सक्षम होगी जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है :

परन्तु कोई भी समिति किसी भी स्थावर सम्पत्ति को, इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए अधिवेशन में समिति के सदस्यों के तीन चौथाई से अन्युन सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के सिवाय और बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से स्थायी रूप से अन्तरित नहीं करेगी।

उप-समिति, संयुक्त समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन।

17. मण्डी समिति, किसी कार्य के संचालन के लिए या किसी मामले पर रिपोर्ट देने के लिए अपने दो या अधिक सदस्यों की उप-समिति या संयुक्त समिति नियुक्त कर सकेगी और ऐसी समिति को या इसके दो या अधिक सदस्यों को अपनी ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगी, जो यह उचित समझे।

समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन।

18. (1) प्रत्येक मण्डी समिति का, सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश पर कृषि विपणन में प्रशिक्षित इसके अधिकारियों में से जो कृषि निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हो ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाए, प्रतिनियुक्त सचिव होगा।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, मण्डी समिति ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो, मण्डी के प्रबन्ध के लिए आवश्यक और उचित हों नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसा वेतन संदत्त कर सकेगी जो बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रवर्गों के लिए नियत किया जाए :

परन्तु जहां कर्मचारी का मूल वेतन 50 रुपए से कम हो, नियुक्ति के लिए बोर्ड के अध्यक्ष का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

(3) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी जिसके विरुद्ध समिति द्वारा दण्डादेश दिया गया है उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक पर, उपर्युक्त अवधि के अवसान पर की गई अपील, ग्रहण कर सकेगा ।

(4) तीस दिन की अवधि की संगणना करते समय उस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगे समय को अपवर्जित किया जायेगा जिसके विरुद्ध अपील की जानी है और सम्बद्ध व्यक्ति को आदेश की प्रतिलिपि का प्रदाय, निशुल्क किया जायेगा ।

(5) अपील प्राधिकारी के आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति अपीलो आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, सरकार को आगे अपील कर सकेगा, और उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के परन्तुक के उपबन्ध, ऐसी अगली अपील पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (3) के अधीन अपील को लागू होते हैं।

(6) सचिव या किसी कर्मचारी की सेवाएं एक मण्डी समिति से अन्य मण्डी समिति को और मण्डी समिति से बोर्ड को और बोर्ड से मण्डी समिति को स्थानांतरित की जायेंगी।

वे व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक हैं।

19. बोर्ड और किसी समिति का प्रत्येक सदस्य और अधिकारी या कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा । 1860 का 4

संविदाओं का निष्पादन।

20. (1) मण्डी समिति द्वारा की गई प्रत्येक संविदा लिखित रूप में होगी और मण्डी समिति की ओर से अध्यक्ष द्वारा या, यदि वह किसी कारण कार्य कर सकने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष, और समिति के दो अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और समिति की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में यथा उपबन्धित निष्पादित संविदा से भिन्न कोई भी अन्य संविदा समिति पर आबद्धकर नहीं होगी ।

फीस का उदग्रहण।

21. (1) मण्डी समिति, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय की गई या विक्रय की गई कृषि उपज पर मूल्यानुसार प्रत्येक सौ रुपये पर एक रुपय से अनधिक दर पर फीस उदगृहीत करेगी जो बोर्ड द्वारा नियत की जाए :

परन्तु:—

(क) ऐसे संव्यवहार के बारे में, जिसमें खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज वस्तुतः परिदत्त नहीं की गई है, कोई फीस उदगृहीत नहीं की जायेगी ;

(ख) पक्षकारों से फीस केवल ऐसे संव्यवहारों में उदगृहीत की जायगी जिन में वस्तुत: परिदान किया गया है ।

1968 का 19

कतिपय कृषि उपज पर चुंगी का संदेय न होना ।

22. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि धारा 4 के अधीन अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में लाई गई या प्राप्त की गई, ऐसी कृषि उपज के सबन्ध में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी तारीख से जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, नगरपालिका को चुंगी देय नहीं होगी ।

हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड निधि ।

23. (1) बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धन-राशियां निधि में जमा की जाएंगी जिसका नाम हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड निधि होगा और बोर्ड द्वारा उपगत सारा व्यय उपर्युक्त निधि से चुकाया जाएगा, जो ऐसी रीति में प्रचलित किया जाएगा जो विहित की जाए ।

(2) इस निधि का उपयोजन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा :—

(i) कृषि उपज का बेहतर विपणन;
(ii) कृषि उपज का सहकारी आधार पर विपणन;
(iii) मण्डी दरों और समाचारों को इकट्ठा करना और उनका प्रसार;
(iv) कृषि उपज का श्रेणीकरण और मानकीकरण;
(v) मंडियों या उनसे सम्बन्धित अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में सामान्य सुधार;
(vi) बोर्ड के कार्यालय का अनुरक्षण और उसके कार्यालय, भवनों, विश्राम गृह और कर्मचारिवृन्द उपगृहों का निर्माण और मुरम्मत;
(vii) वित्तीय दृष्टि से कमजोर समितियों को ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता देना ;
(viii) बोर्ड द्वारा नियोजित व्यक्तियों के वेतन, अवकाश, भत्ते, उपदान, अनुकंपा भत्ते, कार्य पर दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप क्षतियों या मृत्यु के लिए प्रतिकर, चिकित्सा सहायता, पैंशन या भविष्य निधि और प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवकों को अवकाश और पैन्शन अंशदान का संदाय;
(ix) बोर्ड के कर्मचारियों या उसके सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्ते;
(x) कृषि सुधारों के पक्ष में विज्ञापन, प्रदर्शन और प्रचार;
(xi) कृषि उपज का उत्पादन और उसकी बेहतरी ;
(xii) बोर्ड द्वारा उपगत किन्हीं विधिक व्ययों को पूरा करना;
(xiii) विपणन या कृषि में शिक्षा देना;
(xiv) गोदामों का निर्माण;
(xv) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम राशियां;
(xvi) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा में हुए व्यय;
(xvii) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कोई अन्य प्रयोजन जो बोर्ड समितियों के सामान्य हितों और राष्ट्रीय या लोक हित को प्रोत्साहन देने के लिए हों ।

मंडी समिति निधि ।

24. (1) मण्डी समिति द्वारा प्राप्त सारा धन "मण्डी समिति निधि" नाम निधि में संदत्त किया जाएगा । इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजनों के लिए समिति द्वारा उपगत सारा व्यय कथित निधि से चुकाया जाएगा, और ऐसे व्यय को पूरा करने के बाद बचा कोई अधिशेष ऐसी रीति में विनिहित किया जाएगा जो नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) (क) प्रत्येक मण्डी समिति, अपनी निधि में से, इस द्वारा बोर्ड के कार्यालय के व्ययों के कारण प्राप्त धन का बीस प्रतिशत इस और द्वारा मण्डी समिति के हित में

साधारणतः उपगत व्यय, बोर्ड को संदत्त करेगी और सरकार को, सरकार द्वारा अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए समिति के परामर्श से नियोजित विशेष या अतिरिक्त कर्मचारिवृन्द की लागत भी संदत्त करेगी।

(ख) सरकार ऐसे विशेष या अतिरिक्त कर्मचारिवृन्द के व्यय को अवधारित करेगी और जहां कर्मचारी वृन्द एक से अधिक मण्डी समितियों के प्रयोजनों के लिए नियोजित किए गए हों, ऐसे व्यय को सम्बद्ध समितियों में ऐसी रीति से प्रभाजित करेगी जो यह उचित समझें। किसी समिति द्वारा देय राशि को अवधारित करने का इसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्रयोजन जिनके लिए मंडी समिति का व्यय किया जा सकता है।

25. धारा 24 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मण्डी समिति निधि का व्यय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:—

(i) मण्डी के लिए स्थान या स्थानों का अर्जन;
(ii) मंडी का अनुरक्षण और सुधार;
(iii) उन भवनों का संनिर्माण और मुरम्मत जो, ऐसी समिति के प्रयोजनों के लिए और उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक है;
(iv) मानक भार और माप की व्यवस्था और अनुरक्षण;
(v) समिति द्वारा नियोजित व्यक्तियों के वेतन, छुट्टी, भत्ते, उपदान, अनुदान भत्ते और छुट्टी भत्तों या भविष्य निधि के प्रति अभिदाय;
(vi) सम्बद्ध कृषि उपज के बारे में फसल आंकड़ों और विपणन से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में सूचना का संग्रहण और प्रसारण, और कृषि सुधार के पक्ष में प्रचार;
(vii) मंडी में आने वाले व्यक्तियों, लदू पशुओं या भारवाही पशुओं और इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए शरणस्थान, छाया गाड़ी ठहराने के स्थान और जल जैसे सुख साधनों और सुविधाओं की व्यवस्था करना;
(viii) समितियों के लेखाओं की संपरीक्षा में उपगत व्यय और कार्यालयों के अनुरक्षण में उपगत व्यय;
(ix) उन ऋणों के ब्याज का संदाय जो मंडी के प्रयोजनों के लिए प्राप्त किए जाएं और ऐसे ऋणों के बारे में निक्षेप निधि की व्यवस्था;
(x) समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को यथा विहित यात्रा तथा अन्य भत्तों का संदाय;
(xi) कृषि उपज का उत्पादन और सुधार;
(xii) समिति द्वारा उपगत किन्हीं विधिक व्ययों का पूरा किया जाना;
(xiii) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम धन;
(xiv) बोर्ड की पूर्व मंजूरी से अधिसूचित मंडी क्षेत्र के लिए समिति के सामान्य हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रकल्पित कोई अन्य प्रयोजन या राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए प्रकल्पित अन्य प्रयोजन।

नियमों या उप-विधियों द्वारा यथा-विहित के सिवाय कोई व्यापार भत्ता अनुज्ञेय नहीं।

26. अधिसूचित मंडी क्षेत्र में, संबद्ध कृषि उपज के किसी बारे में किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों द्वारा विहित भत्ते से भिन्न व्यापार भत्ते संदत्त या प्राप्त नहीं किया जाएगा और सिविल न्यायालय, ऐसे किसी से संव्यवहार से उद्भूत किसी वाद या कार्यवाहियों में किसी व्यापार भत्ते को, जो इस प्रकार विहित नहीं है, मान्यता नहीं देगा:

परन्तु सभी मंडी प्रभार क्रेता द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

नोटिस के अभाव में वाद का वर्जन।

27. (1) बोर्ड या किसी समिति या उसके किसी सदस्य या कर्मचारी या के निकाय के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या सदस्य या कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक कि, वाद हेतुक, आशयित वादी का नाम और उसका निवास स्थान और अनुतोष जिसका वह दावा करता है, वर्णित करते हुए लिखित नोटिस बोर्ड या समिति की दशा में, उसको परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय पर छोड़ने और उपर्युक्त सदस्य या कर्मचारी या व्यक्ति की दशा में, उसे परिदत्त करने या उसके कार्यालय या उसके सामान्य निवास स्थान पर छोड़ने के पश्चात् आगामी दो मास का अवसान नहीं हो जाता और वाद-पत्र में यह अन्तर्विष्ट होगा कि ऐसा नोटिस परिदत्त कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है।

उधार लेने की शक्ति।

28. (1) मंडी समिति बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से उन प्रयोजनों को पूरा करने के लिए जिनके लिए यह स्थापित की गई है, मंडी समिति में निहित और उसकी किसी सम्पत्ति और इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति द्वारा उद्गृहीत किन्हीं फीसों की प्रतिभूति पर, अपेक्षित धन राशि उधार ले सकेगी।

(2) मण्डी समिति, मण्डी की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि, भवनों और उपस्करणों पर आरम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से ऐसी शर्तों पर और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाए, ऋण ले सकेगी।

(3) समिति, बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से अन्य समितियों से ऐसी शर्तों पर और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, ऋण ले सकेगी।

बोर्ड और समितियों के लिए भूमि का अर्जन।

1894 का 1

29. (1) जब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई भूमि अपेक्षित हो तो राज्य सरकार, उस बोर्ड या समिति के अनुरोध पर, जिस द्वारा यह अपेक्षित है, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन इसे अर्जित करने के लिए अग्रसर हो सकेगी, और बोर्ड या समिति द्वारा, उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर और अर्जन के कारण, राज्य सरकार द्वारा उपगत सभी अन्य व्ययों के संदाय पर, भूमि बोर्ड या समिति में निहित हो जाएगी।

1894 का 1

(2) बोर्ड या समिति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय प्राधिकरण समझा जाएगा।

मंडी समितियों का अतिक्रमण।

30. (1) यदि बोर्ड की राय में, कोई मंडी समिति, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने में असक्षम है या उनका पालन करने में निरन्तर व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो बोर्ड, अधिसूचना द्वारा समिति का अधिक्रमण कर सकेगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व, बोर्ड, प्रस्थापित अधिक्रमण के विरुद्ध कारण बताने के लिए, समिति को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और मण्डी समिति के स्पष्टीकरण और आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

(2) मंडी समिति का अधिक्रमण करने वाली उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(क) मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य, ऐसे प्रकाशन की तारीख से लेकर समिति के सदस्य नहीं समझे जाएंगे;

(ख) समिति की आस्तियां बोर्ड में निहित हो जाएंगी और यह अधिक्रमण की तारीख को अस्तित्वशील समिति के विधिक दायित्वों के उपर्युक्त आस्तियों की सीमा तक दायित्व के अधीन होगा;

(ग) बोर्ड, समिति के कृत्यों के निष्पादन के लिए अपने विवेकाधिकार के आदेश द्वारा, या तो धारा 10 के अधीन गठित नई समिति का या समिति के ऐसे अन्य प्राधिकरण का गठन कर सकेगा, जैसा बोर्ड उचित समझे।

(3) (क) जब बोर्ड ने उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन आदेश दिया हो, तो ऐसे आदेश की तारीख को उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में परिभाषित, बोर्ड में निहित आस्तियां और दायित्व, यथापूर्वोक्त गठित नई समिति या प्राधिकरण को आन्तरित किए गए समझे जाएंगे।

(ख) (i) जहां बोर्ड में, अधिक्रान्त समिति के कृत्यों के निष्पादन के लिए उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन आदेश द्वारा, नई समिति से भिन्न कोई प्राधिकरण नियुक्त किया है, वहां बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि नियत कर सकेगा जिसके लिए ऐसा प्राधिकरण कार्य करेगा, ऐसी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु ऐसे प्राधिकरण की पदावधि पूर्वतर भी समाप्त की जा सकेगी यदि बोर्ड किसी कारण इसे आवश्यक समझे।

(ii) ऐसे प्राधिकरण की पदावधि की समाप्ति पर, नई समिति गठित की जाएगी।

(iii) ऐसा आदेश किए जाने पर, एतद्द्वारा अधिक्रान्त प्राधिकरण में निहित आस्तियां और दायित्व, ऐसे आदेश द्वारा 4 नई समिति को अन्तरित किए गए समझे जाएंगे।

(4) जब भी किसी समिति की आस्तियां बोर्ड में निहित हों और इसके स्थान पर कोई नई समिति या प्राधिकरण नियुक्त नहीं किया गया हो, तो बोर्ड कथित समिति के अस्तित्वशील विधिक दायित्वों के उन्मोचन के पश्चात, शेष आस्तियों की बकाया को, धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोकोपयोग क्षेत्रों के किसी उद्देश्य में नियोजित करेगा।

आपात कालीन शक्ति।

31. यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उदभूत हो गई है जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनों को उसके उपबन्धों के अनुसार निष्पादित नहीं किया जा सकता है, तो यह अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित कर सकेगी,—

(क) घोषणा कर सकेगी कि मण्डी समिति के कृत्य, उस सीमा तक जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(ख) समिति में निहित या इसके द्वारा प्रयोज्य सभी या किन्हीं शक्तियों को स्वय ग्रहण कर सकगी, और ऐसी अधिसूचना में ऐसे अनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध अन्तर्विष्ट कर सकेगी जो राज्य सरकार को, अधिसूचना के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

शास्तियां।

32. (1) जो कोई व्यक्ति धारा 4 या धारा 6 या धारा 26 या तद्धीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोष सिद्धि पर साधारण कारवास से जिसकी अवधि 90 दिन तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, और लगातार उल्लंघन की दशा में, यथा पूर्वोक्त के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्ध की तारीख के पश्चात जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, प्रतिदिन के लिए तीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति सिवाए इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है धारा 4 या धारा 6 या धारा 26 के उपबन्धों के जुर्माने से, जो 200 रुपये तक का हो सकेगा और लगातार उल्लंघन की दशा में, प्रथम दोषसिद्ध की तारीख से पश्चातवर्ती प्रत्येक दिन के लिए 20 रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से, जिस में उल्लंघन जारी रहा है दण्डनीय होगा ।

नियम बनाने की शक्ति।

33. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा:—

(1) बोर्ड और मण्डी समिति के सदस्यों की नियुक्ति,
(2) मंडी समिति या बोर्ड, उनके अधिकारियों और सवकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किए जाने वाले कत्तव्य,
(2)(क) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जान वाल कर्त्तव्य और उसे सदत्त किए जाने वाला पारिश्रमिक और भत्ते,
(3) मण्डी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उनकी शक्तियां और पदावधि,
(4) मण्डी समिति के सदस्यों के पदों या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदों की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना,
(5) समय, स्थान और रीति जिसम क्रता और विक्रेता के बीच संविदा की जानी है और विक्रेता को संदत्त को जाने वाली राशि,
(6) साधारणतयः मण्डी समितियों के मार्ग दर्शन के लिए,
(7) मण्डी का प्रबन्ध, किसी भी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज का जारी किया जाना, प्ररूप जिसमें, और शर्तें जिनके अधीन एसी अनुज्ञप्तियां जारी या नवीकृत की जाएगी और उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस, यदि कोई हो,
(8) स्थान जहां कृषि उपज तोली जाएगी, मापमान, बाटों, और मापों के प्रकार और विवरण जो अधिसूचित मण्डी क्षत्र में, केवल कृषि उपज क संव्यवहार के लिए प्रयोग किए जा सकगे,
(9) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे मापमानों, बाटों और मापों

का दिया जाना, सत्यापन, विनियमन, सहीकरण, और अधिहरण,

(10) भाग या अन्य जो अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा दिये या प्राप्त किए जा सकेंगे,

(11) कृषि उपज के क्रेता और विक्रेता उनके अभिकर्ताओं के बीच किसी विवाद के जिसके अन्तर्गत वस्तु की क्वालिटी या वजन, संदत्त की जाने वाली कीमत या दाम, उसके लिए भत्ता, किसी कारण से धूल या अशुद्धताओं या कटौतियों का विवाद भी है, मध्यस्थता द्वारा या अन्यथा निपटारे के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(12) कृषि उपज के क्रेता या विक्रेता, दोनों की ओर से, एक ही संव्यवहार में दलालों को कार्य करने में प्रतिषेध,

(13) मण्डी में लाई गई किसी कृषि उपज के भंडारकरण के लिए स्थान की व्यवस्था,

(14) बोर्ड या समिति के पूर्ण या आंशिक खर्च पर बनाए जाने वाले सकर्मों के रेखांक और प्राक्कलन तैयार करना और ऐसे रेखांकों और प्राक्कलनों की मंजूरी देना,

(15) रूप जिनमें समिति के लेखे रखे जाएंगे, ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा और प्रकाशन, और ऐसी संपरीक्षा के लिए किए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हो,

(16) भविष्य निधियों का प्रबन्ध और विनियमन जो बोर्ड या मण्डी समितियों द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किए जाएं,

(17) वार्षिक बजट का तैयार किया जाना और मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना और बोर्ड या मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट और विवरणियां,

(18) बोर्ड या मण्डी समितियों की अधिशेष निधियों का विनिधान और निपटाया जाना,

(19) वह रीति, जिसमें कृषि उपज की नीलामी कराई जाएगी और किसी मण्डी में लगाई गई और स्वीकृत की गई बोलियां,

(20) अनुज्ञप्तियां जारी करने या नवीकरण के लिए संदेय फीस का मापमान निर्धारित करने और अनुज्ञप्ति का प्ररूप और शर्तें जिनके अधीन व्यवहारी को अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी, विहित करने के लिए,

(21) ऐसी अधिकतम फीस नियत की जाना जो मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में उद्गृहीत की जा सकेगी और ऐसी अधिकतम फीस जो मण्डी में क्रय या विक्रय की गई कृषि उपज पर उद्गृहीत की जा सकेगी और ऐसी फीस की वसूली,

(22) धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने की बाध्यता से व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों में छूट,

(23) प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करना जिसे अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जाएंगे,

(24) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उप-विधियों के अधीन वसूलीय फीस का शापन या निपटाया जाना,

(25) यात्रा व्यय, जो बोर्ड और समितियों के अध्यक्ष सदस्यों और कर्मचारियों को संदत्त किए जा सकेंगे,

(25) (क) हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड निधि का प्रचालन,

(26) किसी ऐसे प्रश्न का परिनिर्धारण कि कोई व्यक्ति उत्पादक है नहीं,

(27) कृषि उपज का श्रेणीकरण और मानकीकरण, कृषि उपज के अपमिश्रण का निवारण,

(28) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों पर, उनके द्वारा किया गया विक्रय खरीद भंडारकरण और प्रसंस्करण के व्यवहार की नियमित अन्तरालों पर समितियों को विवरणियां देने, और लेखाओं और अभिलेखाओं को निरीक्षण के लिए पेश करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मांगने पर जानकारी देने के कर्त्तव्य को अधिरोपित करना, और
सत्यापन का प्ररूप और रीति और ऐसी विवरणियों में दर्ज की जाने वाली विशिष्टियां और ऐसी जानकारी की प्रकृति विहित करना,

(29) बोर्ड और मण्डी समितियों के कर्मचारियों को संदाय या अवकाश भत्ता, उपदान या अनुकंपा भत्ता या किसी भविष्य निधि में अभिदाय, जो ऐसे कर्मचारियों के हित के लिए स्थापित किया जाए,

(30) बोर्ड और मण्डी समितियों के कर्मचारियों पर अधिरोपित की जाने वाली शास्तियां जिनके अन्तर्गत ऐसे शस्तियां अधिरोपित करने की रीति और ऐसी शास्तियां के विरुद्ध अपील का अधिकार भी है,

(31) बोर्ड तथा समितियों के सेवकों का स्वरूप और प्रास्थिति,

(32) दलालों या व्यवहारियों द्वारा उत्पादकों को दिए गए अग्रिमों का, यदि कोई हो, विनियमन,

(33) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथा-शक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।

उप-विधियां।

34. (1) धारा 33 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के बारे में, निम्नलिखित के लिए उप-विधियां बना सकेगा:—

(i) कारोबार का विनियमन,
(ii) व्यापार की शर्तें,
(iii) अपने कर्मचारियों और मण्डी समितियों के कर्मचारियों की नियुक्ति और दंड,
(iv) ऐसे कर्मचारियों को वेतनों, उपदानों और छुट्टी भत्तों का संदाय,
(v) धारा 17 द्वारा उपबन्धित, उपसमिति को शक्तियों, कर्तव्य और कृत्यों का, यदि कोई हों, प्रत्यायोजन ।

(2) कोई भी, उप-विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित और अधिसूचित नहीं की जाती ।

राज्य सरकार को अनुसूची के संशोधन की शक्ति।

35. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की अनुसूची में कृषि उपज की कोई अन्य मद जोड़ सकेगी या उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी उपज की किसी मद में संशोधन या लोप कर सकेगी ।

अपराधों का विचारण।

36. (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि द्वारा दण्डनीय किसी अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन, अध्यक्ष, सचिव या उनकी अनुपस्थिति में, इस निमित बोर्ड या समिति द्वारा पारित संकल्प द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जा सकेगा ।

(3) अपराधी से प्राप्त सभी जुर्माने सरकारी राजस्व में जमा किए जाएंगे और ऐसे जुर्मानों के बराबर अनुदान मण्डी समिति को संदत्त किया जाएगा ।

अपील ।

37. (1) धारा 8 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील बोर्ड विहित रीति में की जाएगी ।

(2) बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा जिसका मामले में विनिश्चय अन्तिम होगा ।

मंडी समितियों से राज्य सरकार को देय राशियों की वसूली ।

38. (1) समिति से, राज्य सरकार या बोर्ड को देय प्रत्येक राशि, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

(2) किसी व्यक्ति से समिति को देय प्रत्येक राशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

पुनरीक्षण ।

39. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन बोर्ड या उसे अधिकारियों द्वारा पारित या पारित किए जाने के लिए आशयित किसी आदेश को उलटने या उपान्तरित करने की शक्ति होगी, यदि यह इसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अनुसार नहीं समझती है ।

अवसूलीय फीसों आदि को बट्टे-खात डालने की शक्ति ।

40. जब कभी यह पाया जाता है कि बोर्ड या समिति को देय राशि वसूलीय है या उसका परिहार कर दिया जाना चाहिए या जब कभी बोर्ड या समिति की धनराशि या भंडार या अन्य सम्पत्ति की कोई हानि, किसी व्यक्ति के कपट या उपेक्षा के माध्यम से या किसी अन्य कारणवश होती है और ऐसी सम्पत्ति या धनराशि अवसूलीय पाई जाती है, तो इन तथ्यों की रिपोर्ट, यथास्थिति, बोर्ड या समिति को की जाएगी और बोर्ड सरकार और समिति बोर्ड के अनुमोदन से, उस राशि या सम्पत्ति के मूल्य को, यथास्थिति, अवसूलीय या परिहार्य हानि के रूप में बट्टे डालने का आदेश कर सकेगी, किन्तु समिति की दशा में, यदि किसी मामले में देय राशि या सम्पत्ति का मूल्य दो सौ रुपये से अधिक है, तो ऐसा आदेश राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा ।

अपराधों के प्रशमन की शक्ति ।

41. (1) बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से समिति या समिति के संकल्प द्वारा प्राधिकार से उसका अध्यक्ष किसी व्यक्ति से जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह है कि उसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या उप-विधि के अधीन कोई अपराध किया है ऐसे अपराध के शमन के रूप में कोई धनराशि प्राप्त कर सकेगा ।

(2) ऐसी धनराशि के यथास्थिति समिति या इसके अध्यक्ष को संदाय पर संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी, और यदि वह अभिरक्षा में हो तो छोड़ दिया जाएगा ।

प्रवेश और तलाशी की शक्ति ।

42. ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसे विहित किए जाएं, मण्डी समिति का सचिव या इस निमित्त समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन मण्डी समिति पर अधिरोपित किन्हीं कर्त्तव्य के पालन के लिए, सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी स्थान, परिसर या यानों में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा ।

समिति या बोर्ड के सदस्यों या कर्मचारियों का दायित्व।

43. (1) प्रत्येक व्यक्ति, समिति की किसी धनराशि या अन्य सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन का दायी होगा, यदि बोर्ड के समाधानप्रद रूप में साबित हो जाता है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य या कर्मचारी के रूप मे कर्तव्य के पालन में उसकी उपेक्षा या अवचार का प्रत्यक्ष परिणाम है और उसे लिखित नोटिस द्वारा कारण बताने का अवसर दिए जाने के पश्चात् कि उससे हानि पूरी करने की अपेक्षा क्यों न की जाये बोर्ड द्वारा ऐसी सम्पत्ति के मूल्य के लिए या ऐसी हानि की राशि के लिए अधिभारित किया जा सकेगा, और यदि राशि उप-धारा (3) द्वारा विहित अपील की अवधि की समाप्ति से एक मास क भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो यह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी :

परन्तु ऐसी किसी व्यक्ति को ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन होने से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् या उसके सदस्य या कर्मचारी न रहने के समय से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कारण बताने के लिए नहीं कहा जाएगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति बोर्ड की किसी धनराशि या अन्य सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन का दायी होगा, यदि राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में साबित हो जाता है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन बोर्ड के किसी सदस्य या कर्मचारी के रूप में कर्तव्यों के पालन में उसकी उपेक्षा या अवचार का प्रत्यक्ष परिणाम है और उसे लिखित सूचना द्वारा कारण बताने का अवसर दिए जाने के पश्चात् कि उससे हानि पूरी करने की अपेक्षा क्यों न की जाए, राज्य सरकार द्वारा ऐसी सम्पत्ति के मूल्य के लिए या ऐसी हानि की राशि के लिए अधिभारित किया जा सकेगा और यदि राशि उप-धारा (3) द्वारा विहित अपील की अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो यह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन होने से या एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् या उसके सदस्य या कर्मचारी न रहने के समय से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कारण बताने के लिए उपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश की तामील से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा जिसे अधिप्रभार को पुष्ट, उपान्तरित या अस्वीकार करने की शक्ति होगी ।

निरसन और व्यावृत्तियां।

44. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किए गए क्षत्रों में यथा प्रवृत दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किट्स ऐक्ट, 1961 (1961 का 23) और प्रथम नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश म समाविष्ट क्षत्रों म यथा प्रवृत पटियाला एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किट्स ऐक्ट, 2004 बिक्रमी एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं·

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखत को प्रभावित नहीं करेगा :

(क) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या होन दी गई, कोई बात,

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन अर्जित या उपगत कोई अधिकार, विशषाधिकार, बाध्यता या दायित्व,

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण, या दण्ड के बारे में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित जारी या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण, या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था :

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि पटियाला ऐग्रोकल्चरल प्रोडयूस मार्किट ऐक्ट, 2004 बिक्रमी के अधीन गठित और इस अधिनियम क प्रारम्भ से ठीक पूर्व कृत्यशील हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड, धारा 3 के अधीन सम्यक् रूप से बोर्ड को स्थापना और गठन होन तक काय करता रहेगा मानो कि वह बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित किया गया था, और इस अधिनियम क प्रारम्भ से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड में सवारत सभी कर्मचारी उक्त बोर्ड क कर्मचारी समझे जाएगे और उनकी उपलब्धियां और सवा की अन्य शर्तें, सरकार के पूर्वानुमोदन क बिना उनके अहित में नहीं बदली जाएगी :

परन्तु यह और भी कि पटियाला ऐग्रोकलचरल प्रोडयूस मार्किट्स ऐक्ट, 2004 बिक्रमी और पंजाब एग्रोकलचरल प्रोडयूस मार्किट्स ऐक्ट, 1961 क अधीन गठित और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कार्य कर रही प्रत्येक समिति काय करती रहेगी मानो समिति धारा 10 क अधीन गठित की गई हो और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित उनक सदस्य, इस अधिनियम के अधीन नई समिति को स्थापना या दो वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतर हो, पद पर बने रहेंगे ।

अनुसूची

[धारा (2) (क) तथा धारा 35 देखिए]

पद	अग्रेजी में नाम	हिन्दी में नाम
1	2	3
1. अनाज	1. पैडी	धान
	2. राइस	चावल
	3. व्हीट	कनक
	4. मज़	मक्की
	5. बारले	जौ
	6. फिंगर मिलिट	रागी
	7. हाराका	कोदरा
	8. कामन मिलिट	चीना

1	2	3
	9. बक वहीट	कुटू
	10. इटालियन मिलिट	कांगुन
	11. सपाइकड मिलिट	बाजरा
2. दालें	1. पिजियन पी	अरहर
	2. लैंटिल	मसूर
	3. बलैक ग्राम	उड़द
	4. ग्रीन ग्राम	मूंग
	5. पीज ड्राई	मटर खुश्क
	6. हार्स ग्राम	कुलथो
	7. कोउ पीज	लोभिया
	8. पलसिज स्पिट	दाल दली
	9. ग्राम	चना
3. तेलहन	1. मसटर्ड	सरसों
	2. इंडियन कोल्जा	राई
	3. इंडियन रेप	तोरिया
	4. लिनसीड	अलसी
	5. ग्राउंडनट शेल्ड एण्ड अन शेल्ड	मूंगफली
	6. ससामम	तिल
4. बनस्पति तेल	1. आल वैजीटेबल आयलज	सभी खाने के तेल
5. फल	1. मैंगो	आम
	2. बेनाना	केला
	3. लीचीज	लीची
	4. स्वीट औरेंज	मालटा
	5. X X X X X	X X X X X
	6. ग्रेपस	अंगूर
	7. पोमग्रेनेट	अनार
	8. पोमग्रनट सीड	अनारदाना
	9. एपल	सेब
	10. औरज	संगतरा
	11. पीच	आड़ू
	12. प्लम	अलूचा
	13. पीयर	नाशपती
	14. X X X	X X X
	15. चिलगोजा	नियोजा
	16. एपरीकाट	खुरमानी

1	2	3
	17. XX	
	18. XX	
	19. XX	
	20. XX	
	21. वालनट	अखरोट
6. सब्जियां	1. पोटेटोज़	आलू
	2. आनियन ड्राई	प्याज (खुश्क)
	3. XX	
	4. XX	
	5. XX	
	6. XX	
	7. XX	
	8. टोमेटो	टमाटर
	9. काली फलावर	फुल गोभी
	10. कैबेज	बन्द गोभी
	11. XX	
	12. XX	
	13. ग्रीन पीज़	मटर हरी
	14. फ्रैन्चबीन	फ्रासबीन
	15. XX	
	16. XX	
	17. कैरेट	गाजर
	18. रेडिश	मूली
	19. टरनिप	शलगम
	20. टिंडा गोर्ड	टींडा
	21. स्वीट पोटेटो	शक्करकंदी
	22.	कटहल
	23.	जिमीकन्द
	24. अरम	अरबी
	25.	कचालू
	26. पेनूग्रीक	मेथी हरी
	27. हिलकैपसीकम	मिर्च बड़ी
	28. बिटर बौउर्ड	करला
	29. ऐश गोर्ड	पठा
	30. कुकम्बर	खीरा
7. रशा	1. काटन जिण्ड और अजिड	रूई और कपास
8. पशु पालन उत्पादक ।	1. पोलटरी	—
	2. एग्ज	अण्डा
	3. कटल	—
	4. शीप	भड़

1	2	3
	5. गोट	बकरी
	6. वूल	ऊन
	7. बटर	मक्खन
	8. घी	घी
	9. मिल्क	दूध
	11. गोट मीट एण्ड मटन	बकरी और भेड़ का गोश्त
	12. फिश	मछली
	13.	
9. मसाले, सुवासवर्धक द्रव्य और अन्य।	1. जिंजर	अदरक
	2. X X X X X	
	3. X X X X X	
	4. X X X X X	
	5. कोरीएंडर	धनिया खुश्क एवम् हरा
10. संवापक पदार्थ	1. टोबेको	तम्बाकू
11. विविध	1. शुगरकेन	गन्ना
	2. गुड़ एण्ड शक्कर	गुड़ और शक्कर खांडसारी
	3.	
	4. आयल केक्स	खली
	5. बार्क आफ वालनट	दंदासा
	6.	
	7. एडिबल मशरूम	गुच्छी वनफसा
	8.	
	9. भाबर ग्रास	भाबर घास
	10. रोजिन	विरोजा

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।